न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —76 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/125

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र बालूराम जाति जेठी
2. अभिषेक पुत्र बालूराम जाति जेठी
3. भुवनेश पुत्र बालूराम जाति जेठी
4. प्रभा पत्नी बालूराम जाति जेठी
   निवासीगण किशोरपुरा, कोटा राजस्थान

—अपीलाण्ट.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 27.06.2024 सपठित इंतकाल नम्बर 636 न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डाना

उपस्थितः—

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलांट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक— 15.04.2026

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम हीरापुर स्थित अपीलांट के पिता एवं पति बालूराम के आवंटनशुदा भूमि खसरा नम्बर 499 / 75 रकबा 2 हे0 गैर खातेदारी की दर्ज रिकार्ड थी, गैर खातेदारी से खातेदारी दिये जाने का आदेश दिनांक 23.6.2023 पर अपीलांट ने नामान्तरकरण हेतु नायब तहसीलदार मण्डाना के समक्ष आवेदन पेश किया जिस पर नायब तहसीलदार मण्डाना ने नामान्तरकरण संख्या 636 दिनांक 27.6. 2024 को दर्ज कर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी नामान्तरकरण दिनांक 9.7.2024 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ग्राम हीरापुर के.डी.ए. की सीमा में आ जाने के कारण खातेदारी का नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है ।

2. उपरोक्त नामान्तकरण सं0 636 दिनांक 27.06.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 08.08,2025 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के नाम तस्दीक इंतकाल को खारिज किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया । वकील अपीलांट एवं पेरोकार सरकार उपस्थित । पेरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया । उभयपक्ष की बहस सुनी ।

3. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलांट के पिता एवं पति बालूराम पुत्र अम्बाराम जाति जेठी निवासी किशोरपुरा कोटा को ग्राम हीरापुर तहसील लाडपुरा स्थित खसरा नम्बर 499 / 75 रकबा 2.00 हे0 भूमि दिनांक 22.6.1989 को आवंटन कर कब्जा प्रदान किया और राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज किया गया तब से लेकर आज तक अपीलान्ट आवंटन आराजी पर पूर्व में अपीलान्ट के पिता एवं पति बालूराम काबिज काश्त रहे और उनके स्वर्गवास बाद अपीलान्ट मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है जिन्हें कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद भी खातेदार दर्ज नहीं करने से अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार मण्डाना के यहां एवं सक्षम राजस्व अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये उक्त प्रार्थना पत्रों पर जांच की गयी और जांच बाद अपीलान्ट को गैर

खातेदारी से खातेदारी दिये जाने का दिनांक 23.6.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिसूचना कमांक एफ 6/19 राज–6/92/2003 दिनांक 23.9.1993 के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी प्रदान करने का आदेश प्रदान किया । उक्त आदेश आज भी प्रभावी है जिसे किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, उक्त आदेश के आधार पर इंतकाल तस्दीक नहीं कर खारिज कर देने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अपीलांट आवंटन नियमों की निरन्तर पालना करते रहे है आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना करने के उपरान्त ही अपीलान्ट को गैर खातेदारी से खातेदारी दिये जाने का आदेश प्रदान किया, उक्त आदेश के प्रभावी रहते नामान्तरकरण खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि आदेश दिनांक 23.6.2023 के प्रभावी रहते इंतकाल निरस्त नहीं किया जा सकता, किन्तु फिर भी आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर आदेश सपठित इंतकाल निरस्त कर अपीलान्ट के नाम खातेदारी दिये जाने का इंतकाल तस्दीक किया जावें ।

4. रेस्पोडेन्ट पेरोकार सरकार द्वारा जवाब एवं बहस में कथन किया है कि बालूराम पुत्र अब्बाराम जेठी को ख.सं. 499/75 रकबा 2.00 हे0 ग्राम हीरापुर की खातेदारी नायब तहसीलदार मण्डाना के आदेश कमांक/प्रगास अभि23/भू.अभि./23/263 दिनांक 23.6.2023 द्वारा प्रदान की गई जिसकी खातेदारी के नामान्तरकरण हेतु हल्का पटवारी द्वारा नामा0 संख्या 636 दिनांक 27.6.2024 से दर्ज किया गया । मुताबिक पटवारी रिपोर्ट उक्त भूमि केडीए की सीमा में आ जाने से नामान्तरकरण खारिज किया जावें । इसी आधार पर उक्त नामान्तरकरण खारिज किया गया ।

- अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण निरस्त किए जाने के एक वर्ष से भी अधिक समय पश्चात अपील किया जाना लिमिटेशन एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है साथ ही इनके द्वारा अपील प्रस्तुत किए जाने में हुई देरी के संबंध में भी कोई ठोस कारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है ।

- खातेदारी आदेश दिनांक 23.6.2023 का नामान्तरकरण दर्ज किया जाने हेतु इनके द्वारा एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किए जाने हेतु आवेदन करना इनकी उचित मंशा का प्रश्न चिन्ह लगता है ।

- साथ ही जिला कलक्टर महोदय ने अपने आदेश कमांक स्थ– / जांच –17 सीसीए /2025/1300 दिनांक 8.9.2025 में जांच उपरान्त पाया कि गैर खातेदार बालूराम को खातेदारी प्रदान करते समय संबंधित कार्मिक द्वारा नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया, डीएलसी की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाया जाना अनिवार्य था जिसकी अनदेखी की गई एवं राज्य सरकार को राजस्व हानि पहुंचाई गई । इस पर तत्कालीन नाायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत खातेदारी दिया जाना मानते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही अन्तर्गत सी सी ए नियम 17 के तहत की गई । इन्ही आधारों को ध्यान में रखते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी आदेश का अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त किया गया था ।

अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के गैर खातेदारी से खातेदारी आदेश की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 636 दिनांक 27.6.2024 आदेश दिनांक 09.7.2024 से अपास्त किया जाने पर इस न्यायालय में दिनांक 08.08.2025 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जो निर्धारित मियाद अवधि में नहीं है । मियाद के शमन के लिए धारा 5 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए विलम्ब के लिए कारण बताया है कि प्रार्थी को विना सूचना जानकारी के इंतकाल संख्या 636 निरस्त किया है जिसकी हाल ही में हल्का पटवारी दिनांक 20.7.2025 को मिलने पर जानकारी देने पर हुयी । मियाद के विन्दु के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है और ना ही धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी दिनांक 20.7.2025 से अपील अन्दर मियाद मानी जाती है ।

6. अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि ग्राम हीरापुर की वर्णित भूमि खसरा नम्बर 499/75 रकबा 2.00 है0 दिनांक 22.6.1989 को अपीलांट के पिता एवं पति बालूराम को आवंटन हुई थी, आवंटन पश्चात कब्जा काश्त होने से नायब तहसीलदार मण्डना द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई । जिसका नामान्तरकरण खारिज करना नियमों के विपरीत बताया है । अपीलांट का कथन है कि अपीलांट खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी थे, उसी आधार पर अधिसूचना कमांक एफ6/ 19/ राज– 6/ 92 / 2003/ दिनांक 23.9.1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान किया है । उक्त आदेश दिनांक 23.6.2023 आज भी प्रभावी है इसके बावजूद ग्राम हीरापुर केडीए सीमा में आने के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने को नियम विरूद्व बताया है । इसके विपरीत पेरोकार सरकार का तर्क है कि वर्णित भूमि केडीए सीमा में आने और खातेदारी अधिकार प्रदान करते समय डीएलसी की 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने से जिला कलक्टर कोटा के आदेश कमांक स्था– / जांच –17 सीसीए /2025/1300 दिनांक 8.9.2025 से उक्त आदेश नियम विरूद्व पाया गया है तथा सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्व सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही भी हुई है । इस प्रकार पेरोकार सरकार के तर्क अनुसार गैर खातेदारी से खातेदारी का जो आदेश नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा जारी किया गया है जिसमें नियमों की अनदेखी होकर नियम विरूद्व होना जाहिर आया है, इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त किया गया है, किन्तु खातेदारी प्रदान करने का आदेश दिनांक 23.6.2023 अभी भी प्रभावशील है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । साथ ही तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि यदि खातेदारी आदेश दिनांक 23.6.2023 नियम विरूद्व है तो आदेश निरस्त कराने हेतु रेफरेंस तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा